-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा जनपद के राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ की गई अपराध समीक्षा बैठक। अपराधों की रोकथाम एवं आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।**
- **प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों, अवैध शस्त्रों का निर्माण व संग्रहण करने वालों, टॉप-टेन, इनामिया ,गैंगस्टर व हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश।**
- **वांछित ,हत्या ,लूट,नकबजनी,चोरी,स्नैचिंग,माफिया,महिला एवं एससी/एसटी एक्ट के मामलों में त्वरित कार्यवाही के दिये निर्देश।**

विवरण- शासन की जीरो टॉलरेन्स की नीति के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने तथा जनपद में शातिं एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आगामी होली, नवरात्रि, ईद-उल-फितर आदि त्योहारों को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा आज दिनांक 24.02.2026 को जनपद के राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा सतर्क रहकर कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। अपराधों की समीक्षा में सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना/शाखा प्रभारियों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए-

1. **आगामी त्योहारों के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश-** पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी होली, नवरात्रि, ईद-उल-फितर त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होने कहा कि इस समय बाजारों में खरीददारी के लिए काफी भीड़ रहेगी विशेषकर सर्राफा, बर्तन और कपड़ों की दुकानों पर महिलाएं बड़ी संख्या में खरीददारी करने जाती हैं, इसके दृष्टिगत बाजारों में महिला पुलिसकर्मियों सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया जाए साथ ही सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए।

2. **प्रभावी प्रिवेन्टिव कार्यवाही-** उन्होने संगठित अपराधों तथा गिरोहबन्द अपराधों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश देते हुए आदेशित किया कि ऐसे अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट के तहत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाए साथ ही लगातार अपराधों में शामिल अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली जाए तथा जिला बदर की कार्यवाही की जाए।

3. **चोरी, नकबजनी, टप्पेबाजी जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण-** समीक्षा बैठक में चोरी, नकबजनी तथा टप्पेबाजी जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु नियमित पैदल गस्त, वाहन चेकिंग बैंक चेकिंग के निर्देश दिए गए। उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में रात्रि मोबाइल पार्टी निरन्तर भ्रमणशील रहें साथ ही सूनसान स्थानों पर पीआरवी वाहनों का स्टॉप प्वाइंट बनाया जाए।

4. **विवेचनाओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण-** लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा के क्रम में उन्होने निर्देशित किया कि लम्बित विवेचनाओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, सभी क्षेत्राधिकारी

अपने-अपने सर्किल के विवेचकों का नियमित रुप से अर्दली रुम कर यह सुनिश्चित करें कि विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण हो।

5. **प्रभावी जनसुनवाई एवं शिकायतों का प्रभावी निस्तारण के निर्देश-** समीक्षा बैठक में उन्होने सभी क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को प्रभावी जनसुनवाई के निर्देश दिए और कहा कि शिकायतों का निस्तारण भौतिक होना चाहिए तथा शिकायतकतर्ता की संतुष्टि ही निस्तारण का आधार हो। थाने पर आने वाले लोगों से पुलिस का व्यवहार विनम्र हो तथा किसी से भी किसी प्रकार की अभद्रता क्षम्य नहीं होगी। उन्होने निर्देशित किया कि थाना स्तर या मुख्यालय स्तर पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों में जाँचकर्ता अधिकारी 24 घण्टे के भीतर शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर स्थिति का भौतिक निरीक्षण एवं निस्तारण सुनिश्चित करें। प्रभारी जन शिकायत प्रकोष्ठ नियमित रुप से इसकी निगरानी करें कि शिकायतों का प्रभावी निस्तारण हो।

6. **साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही -** समीक्षा बैठक में उन्होने प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना तथा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि साइबर अपराधों की रोकथाम शासन की प्राथमिकताओं में से एक है, साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शासन की मंशा के अनुरुप उन्होने सभी थानों पर पृथक रुप से प्रशिक्षण प्राप्त उपनिरीक्षकों और आरक्षियों/महिला आरक्षियों को नियुक्त कर जनता की शिकायत सुनी जाय।

7. **महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के संबंध में निर्देश-** पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण बांदा पुलिस की पहली प्राथमिकता है, सभी थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि महिला संबंधी अपराधों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए साथ ही महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के माध्यम से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होने महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बृहद स्तर पर जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

अपराध समीक्षा बैठक से पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा सैनिक सम्मेलन कर पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुन उनके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया उन्होने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि बैरक तथा मेस की मरम्मत की यदि आवश्यकता हो तो उसे ठीक कराएँ सुनिश्चित करें कि मेस ठीक तरह से संचालित हो। इस दौरान उन्होने कहा कि किसी भी पुलिस कर्मी कार्य सरकार से संबंधित या कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो तो पुलिसकर्मी उनसे व्यक्तिगत रुप से मिल सकते हैं तथा किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों की समस्यायों का हर संभव निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।